न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2016	24/05/2016	04/12/2025

दुलीचन्द पुत्र श्री हेमराज, जाति–मीना, निवासी–अयाना तह. पीपल्दा, जिला कोटा राज0

(अपीलान्ट)

बनाम

(1.) लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री बेजनाथ, जाति–मीना, निवासी–अयाना तह. पीपल्दा, जिला कोटा राज.
(2.) बद्री बाई पत्नी श्री भवानीशंकर, जाति–मीना, निवासी–अयाना तह. पीपल्दा, जिला कोटा राज.
(3.) ग्राम पंचायत अयाना जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत अयाना, प०स० इटावा, जिला कोटा राज.

(रेस्पोडेन्टस)

अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05/05/2016 नामान्तरकरण न0 2513 ग्राम पंचायत अयाना पंचायत समिति इटावा, जिला कोटा राज० अर्न्तगत धारा –75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम– अयाना, तहसील– पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता न० नया 404 पुराना 596 पर ख.न. 1063 रकबा 0. 54 हे., ख.न. 1082 रकबा 2.30 हे०, ख.न. 1388 रकबा 2.77 हे0, ख.न. 2681 रकबा 1.25 हे0, ख.न. 2865 रकबा 3.03 हे०, ख.न. 2869 रकबा 5.61 हे०. ख.न. 2874 रकबा 2.63 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 18.13 हे. भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजी को अपील की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार स्व० रामनाथी पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द थी। स्व० रामनाथी का देहान्त दिनांक–10.11.2007 को हो चुका है। स्व० रामनाथी के कोई सुलभी पुत्र–पुत्री नहीं थे, इस कारण स्व० रामनाथी का अपीलान्ट के प्रति पुत्रवत प्रेम आजीवन रहा। अपीलान्ट स्व० रामनाथी के देवर हेमराज का पुत्र है। अपीलान्ट अपने बचपन में स्व० रामनाथी के पास ही रहता था तथा उनकी सेवा व सुश्रुषा आजीवन करता रहा। स्व० रामनाथी ने अपीलान्ट की सेवा व सुश्रुषा से प्रसन्न होकर स्व० रामनाथी ने विवादित आराजी में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से एवं अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी अपीलान्ट को बनाते हुये अपीलान्ट के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 18.01.2002 को निष्पादित कर दो साक्षियो से अनुप्रमाणित करवा दिया। स्व० रामनाथी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने दिनांक–29.04.2016 को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा दिनांक 2.05.2016 को प्रकरण को 135 (2) में दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान किया तथा पटवारी हलका को जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया। किन्तु न्यायालय ग्राम पंचायत अयाना द्वारा दिनांक 05.05.2016 को विवादित आराजी में नामान्तरकरण न0 2513 तस्दीक फरमाते हुये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। अपीलान्ट निम्न आधारों पर नामा० न० 2513 दिनांक 05/05/2016 के

उपखण्ड अधिकारी

विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अयाना जिला–कोटा राज० के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय न्याय व संचिका के तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी में अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत दिनांक 18/01/2002 को स्व० खातेदार रामनाथी द्वारा निष्पादित कर दी थी मुताबिक वसीयत अपीलान्ट विवादित आराजी में स्व० रामनाथी के हिस्से का वास्तविक उत्तराधिकारी है इस बाबत अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.05.2016 को रेस्पोडेन्ट कम 3 को लिखित रूप से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कोरम के समक्ष अवगत करा दिया था किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 3 द्वारा इस बाबत जांच नहीं कर तथा अपीलान्ट की आपत्ति को दरकिनार करते हुये रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने मे विधिक त्रुटि की गयी है। पटवारी हलका एवं सर्किल कानूनगो द्वारा नामान्तरकरण पंजिका पर यह साफ टिप्पणी दर्ज की है कि विवादित आराजी में रामनाथी की एक वसीयत मौजूद है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह जानकारी होने के उपरान्त भी कि विवादित आराजी में स्व० खातेदार द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की हुयी है, अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना अवैधानिक रूप से तथ्य व विधि के विपरीत रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में नामान्तरकण दर्ज करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा में स्व० रामनाथी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में निष्पादित वसीयत दिनांक 18.01.2002 की जांच लम्बित थी प्रकरण विवादित था तथा स्व० रामनाथी की वसीयत जांच के उपरान्त ही नामान्तरकरण दर्ज होना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से इतर त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण कर अपीलान्ट की भूमि को रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते दर्ज करने में भारी त्रुटि की है जो काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट कम 2 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध अपील में कोई रिलिफ नही चाही गयी है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत अयाना जिला कोटा राज० नामान्तरकरण न0 2513 दिनांक 05/05/2016 निरस्त फरमाने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

अपीलान्ट की ओर से अपील श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर अपीलान्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि मृतका रामनाथी पत्नि लक्ष्मीचन्द ने दिनांक 18.01.2002 को एक वसीयत अनरजिस्टर्ड अपीलान्ट दुलीचन्द पुत्र हेमराज के नाम लिखी तत्पश्चात वसीयत के लिखने के लगभग 7 वर्ष पश्चात वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई एवं वसीयतकर्ता की मृत्यु के 9 वर्ष पश्चात वसीयत ग्रहिता द्वारा नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार को आवेदन किया गया था। जबकि यदि मृतका ने अपीलान्ट की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी तो अपीलान्ट को उक्त वसीयत के बारे में जानकारी भी रही होगी और अपीलान्ट को वसीयत की जानकारी थी तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के 9 वर्ष पश्चात वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रा0 पत्र पेश करना समझ से परे है। दूसरा वसीयत स्व अर्जित सम्पत्ति की की जाती है परन्तु अपीलान्ट ने यह सिद्ध नहीं किया कि "आया वसीयत की गई सम्पत्ति वसीयतकर्ता की स्व अर्जित सम्पत्ति है।" अपीलान्ट ने वसीयत के गवाहान व

भी पेश नहीं किया जिससे यह पता चल सके कि गवाहान वसीयत के समय मौके पर मौजूद थे।

अपीलान्ट अपनी वसीयत को सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा